



भारत सरकार

कार्यालय: नियंत्रक संचार लेखा उत्तर प्रदेश पश्चिम परिमण्डल ब्रह्मपुरी दूरसंचार भवन दिल्ली रोड मेरठ
250002

वेबसाइट: www.ccaupwest.gov.in

विषय: 2006 के पूर्व के पेंशनरों/परिवारिक पेंशनरों के पीपीओओ का संशोधन ब्योरा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

नियंत्रक संचार लेखा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पश्चिमी परिमण्डल मेरठ के पेंशनरों जो 01/01/2006 के पूर्व दूरसंचार विभाग से सेवा निवृत्त हो चुके हैं से अनुरोध है कि इसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित संलग्न प्रपत्र में ब्योरा भरकर इसे उस कार्यालय के माध्यम से भिजवायें, जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए/मृत्यु के समय कार्यरत थे ताकि पेंशन संशोधन संबंधी प्रस्ताव को शीघ्रताशीघ्र अन्तिम रूप दिया जा सके।

- 1 पेंशनभोगी का नाम
- 2 जन्म तिथि
- 3 सेवानिवृत्ति की तारीख
- 4 पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख यदि आवेदन कुटम्ब पेंशनभोगी द्वारा किया हो
- 5 सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान तथा अन्तिम वेतन
- 6 पीपीओओसंख्या
- 7 वर्तमान पता (पिन कोड के साथ)
- 8 फोन नम्बर एवं ई मेल पता (पेंशनभोगी/साथी पेंशनभोगी)
- 9 डाकघर बैंक का नाम जहाँ से पेंशन प्राप्त करते हैं।
- 10 पत्राचार का पता (डाकघर बैंक) पिन कोड के साथ
- 11 खाता संख्या
- 12 सेवानिवृत्ति के समय किस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए तथा उसका पूर्ण पता
- 13 जन्म तिथि (जीवन साथी पेंशनभोगी का) प्रमाण संलग्न किया जाए

दिनांक :

हस्ताक्षर

पेंशनभोगी/फैमिली पेंशनभोगी या
कुटम्ब पेंशन भोगी का हस्ताक्षर

टिप्पणी : जन्म तिथि के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित में से किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत की जा सकती है :

(क) पैन कार्ड (ख) मैट्रिक प्रमाण पत्र (जन्म की सूचना के संबन्ध में) (ग) पास पोर्ट (घ) सीजीओएचएसओ कार्ड (ङ) ड्राईविंग लाईसेंस यदि इसमें जन्म तिथि हो (च) वोटर कार्ड आधार नंबर को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में इस शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है कि पेंशनभोगी/कुटम्ब पेंशन भोगी प्रमाणित करें कि वह दसवीं पास नहीं है तथा उसके पास उपर्युक्त (क) से (ङ) का कोई दस्तावेज नहीं है।

आदेशानुसार
नियंत्रक संचार लेखा